निग० 3960/2018/रीवा/भू.रा० (152)

2559

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

केमला प्रसाद यादव तनय छोटे यादव निवासी ग्राम गाड़ा 234 तह. हनुमना जिला रीवा म.प्र.

..................निगरानीकर्ता

बनाम्

1— अमरपाल सिंह तनय महादेव सिंह

2— विमला सिंह पत्नी अवधराज सिंह

3— कमला देवी पत्नी रामबक्स सिंह

सभी निवासी ग्राम बिझौली तह. हनुमना जिला रीवा म.प्र.

.......................निगरानीकर्तागण

आवेदक की ओर से श्री बृजेन्द्र सिंह एड० द्वारा पेश किया गया। 28.6.18

28.6.18

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा जिला रीवा म.प्र. स्वमोटो निगरानी प्र.क. 159 अ 19/90—91 आदेश दिनांक 10.06.2002

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं—

1— यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2— यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानते हुए कि गैरनिगरानीकर्ता क्र. 1 ता 3 के पक्ष में पारित व्यवस्थापन आदेश त्रुटिपूर्ण है किन्तु उसके बावजूद भी निगरानी निरस्त करने में वैधानिक भूल की है जो किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

3— यह कि यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रश्नाधीन भूमि निगरानीकर्तागण के स्वत्व व अधिपत्य की पुस्तैनी भूमियाँ थी जो सहबन शासन म.प्र. के स्वामित्व में दर्ज हो गयी थी और शासन म.प्र. के स्वामित्व में दर्ज होने का अनुचित लाभ लेकर

........2

केमला प्रसाद यादव

152

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 3960 / 2018 / भू–रा0 जिला–रीवा

केमला प्रसाद यादव/अमरपाल सिंह

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 23.04.19 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 159 / अ–19 / 1990–91 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 05.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।<br><br>(बी.एम.शर्मा),<br>सदस्य | |